न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
16 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	05.04.2022	11.05.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

श्री पवन कुमार तम्बोली पुत्र श्री नाथूलाल एफ.बी.ओ. मैसर्स नाथूलाल पवन कुमार काफला बाजार टोंक राज. निवासी डॉ. इमामम की गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।

2–अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 11.05.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.01.2022 को समय 02:42 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स नाथूलाल पवन कुमार काफला बाजार टोंक राज. पर पहुंचा। वहॉ श्री पवन कुमार तम्बोली पुत्र श्री नाथूलाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पवन कुमार तम्बोली ने स्वयं को मैसर्स मैसर्स नाथूलाल पवन कुमार काफला बाजार टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर आवेदक को खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में सुपारी, पान मसाला व कन्फैक्शनरी खाद्य पदार्थ अलग–अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **पान मसाला प्रीमियम बहार सलेक्ट ब्राण्ड (Pan Masala Premium Bahar Select Brand)** 216–216 ग्राम के 60 नग/पैकेट दुकान की रैक में रखे हुये थे, जिसे देखने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर श्री पवन कुमार तम्बोली को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री पवन कुमार तम्बोली व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **पान मसाला प्रीमियम बहार सलेक्ट ब्राण्ड (Pan Masala Premium Bahar Select Brand)** वास्ते मानक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, 216–216 ग्राम के 12 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 216–216 ग्राम के 12 नग **पान मसाला प्रीमियम बहार सलेक्ट ब्राण्ड (Pan Masala Premium Bahar Select Brand)** के बराबर–बराबर चार भाग प्रत्येक 648 ग्राम के चार नमूने तैयार कर चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2996 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री पवन कुमार तम्बोली तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2996 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री पवन कुमार तम्बोली पुत्र श्री नाथूलाल एफ.बी.ओ. मैसर्स नाथूलाल पवन कुमार काफला बाजार टोंक राज. से खाद्य पदार्थ का बिल प्रस्तुत करने को कहा गया परन्तु कोई वारन्टी बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस संबंध में आवेदक द्वारा श्री पवन कुमार तम्बोली को पत्र भी प्रेषित किया गया जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/240 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/15/एक्ट/2022/107 दिनांक 13.01.2022 के अनुसार विक्रेता श्री पवन कुमार तम्बोली से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **पान मसाला प्रीमियम बहार सलेक्ट ब्राण्ड (Pan Masala Premium Bahar Select Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीग द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **पान मसाला प्रीमियम बहार सलेक्ट ब्राण्ड (Pan Masala Premium Bahar Select Brand)** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक (seal)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ एवं जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **पान मसाला प्रीमियम बहार सलेक्ट ब्राण्ड (Pan Masala Premium Bahar Select Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पान मसाला प्रीमियम बहार सलेक्ट ब्राण्ड (Pan Masala Premium Bahar Select Brand)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री पवन कुमार तम्बोली पुत्र श्री नाथूलाल एफ.बी.ओ. मैसर्स नाथूलाल पवन कुमार काफला बाजार टोंक राज. निवासी डॉ. इमामम की गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक पर शास्ति रूपये 75,000 (अक्षरे पचहत्तर हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 11.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0